'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 31.08.2018
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 21 ● अंक 19 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 31 अगस्त, 2018

आबादी के हिसाब से बांट दें आरक्षण

मुंबई में पिछले दिनों हुए मराठा आरक्षण आंदोलन का एक दृश्य

पाठ्यक्रम और पत्रकारिता द्वारा लोगों को समझाना होगा कि जिन्हें आरक्षण मिला है उन्होंने हजारों साल नारकीय एवं अभावग्रस्त जिंदगी जी है।

आज देश में शायद ही कोई जाति हो, जो आरक्षण की मांग न करती हो। मराठा आरक्षण आंदोलन उफान पर है। आंध्र प्रदेश में कापू भी आंदोलन कर रहे हैं। जाट जब–तब आरक्षण की मांग को लेकर उग्र हो उठते हैं। वोट कटने के डर से सरकारें सबकी बात मान लेती हैं लेकिन बाद में न्यायपालिका उन्हें रिजर्वेशन देने से मना कर देती है। राजनीतिक दलों में हिम्मत नहीं कि सच को सच और गलत को गलत कह सकें, इसलिए आरक्षण की उलझन खत्म नहीं हो रही है। आरक्षण के दायरे से बाहर की जातियों को भी आज लगता है कि उनका उद्धार आरक्षण से ही होगा, जबकि नौकरियां नाममात्र की रह गई हैं। पिछले दिनों सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सही कहा कि सरकारी नौकरियां अब रह ही कहां गई हैं! लगभग 80 प्रतिशत नौकरियां निजी क्षेत्र में जा चुकी हैं। आरक्षण सभी को दिया नहीं जा सकता इसलिए यह उलझन स्थायी रूप से बनी रहेगी।

भागीदारी का माध्यम

आरक्षण मांगने वाली उच्च जातियां इसे हासिल तो नहीं कर पा रहीं, लेकिन उनके आंदोलनों से देश का नुकसान बहुत हो रहा है। धरना–प्रदर्शन, चक्काजाम आदि को नियंत्रित करने में ही पुलिस–प्रशासन की सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यह ऊर्जा अन्य कार्यों के लिए लगाई जाए तो समाज में रचनात्मकता बढ़ेगी और अपराध में कमी आएगी। वोट लेने की खातिर विभिन्न राजनेता इन आंदोलनरत जातियों को सहयोग देकर उनका समर्थन हासिल करते हैं या चुनाव में उनसे गठबंधन करते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनकी मांग सही है या गलत। उनकी वजह से विकास का मुद्दा गौण हो जाता है। जो लोग चुनकर आते हैं वे भी विकास की बात कम और आरक्षण की बात ज्यादा करते हैं क्योंकि उन्हें दोबारा चुनाव में उतरना होता है। इस वजह से अदालत का कार्यभार भी बढ़ा है जिससे आम मुकदमे प्रभावित होते हैं। इस तरह के आंदोलनों से सामाजिक सद्भाव भी प्रभावित होता है। अकस्मात एक जाति दूसरी जाति के मुकाबले में खड़ी हो जाती है।

सरकार ने आर्थिक सशक्तीकरण के कई कार्यक्रम चला रखे हैं। लोगों की आय बढ़ानी है या रोजगार की समस्या का हल करना है तो इन योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करना होगा। यह कार्य आरक्षण से नहीं होगा। संविधान निर्माण के समय आरक्षण का प्रावधान रखा गया तो उसका आधार था सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ापन। सन 1992 में मंडल कमिशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार जोड़ दिया, वह भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मामले में। दरअसल इस स्तर पर अदालत ने भारी गलती की, जिसका प्रतिकूल प्रभाव

अभी तक चलता आ रहा है । हजारों–लाखों मुकदमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, कहीं पक्ष में तो कहीं विपक्ष में। इन पर संसाधन का कितना व्यय हो रहा है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हालात यहां तक पहुंच गई है कि संसद कानून बनाती है तो उसे अदालत में चुनौती दे दी जाती है, जिसकी पैरवी के लिए अटॉर्नी जनरल और कानून मंत्रालय पूरी जंगी तैयारी में लगे रहते हैं। ये मुकदमे दोधारी तलवार बन जाते हैं। जरा सी भी चूक हुई तो बवाल मच जाता है और धरना–प्रदर्शन शुरू हो जाता है।

20 मार्च को जब अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बहस की तो गैर–इरादतन एक चूक कर दी कि इसमें बेल दी जा सकती है। इस तरह वंचित तबके को मिले एक अवसर को कमजोर कर दिया गया और इस एक्ट के पीछे का मकसद ही खत्म हो गया। इस समय देश के सामने बड़ी चुनौती यह समझ पैदा करने की है कि आरक्षण आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया नहीं बल्कि शासन–प्रशासन में भागीदारी का माध्यम है। सदियों से जिन लोगों को शासन–प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं मिली थी उनके लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया। नौकरी में आने से इनका आर्थिक उत्थान भी हुआ है जिससे वे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हालांकि इससे वे व्यापारियों की तरह करोड़पति या अरबपति नहीं हो गए हैं। आरक्षण को लेकर एक सकारात्मक माहौल बनाने की जरूरत है। पाठ्यक्रम और पत्रकारिता द्वारा लोगों को समझाना होगा कि जिन्हें आरक्षण मिला है, उन्होंने हजारों वर्षों से नारकीय, अभावग्रस्त जिंदगी जी है। दुर्भाग्य से इस सचाई को सामने रखने की बजाय इसे छुपाया जाता है या चर्चा से गायब कर दिया जाता है।

रोज नया आंदोलन

कई लोग कहते हैं कि जाति आधारित आरक्षण ठीक नहीं है, जबकि शादी–ब्याह, जीवन–मरण के अवसर पर आज भी जाति का बड़ा रोल रहता है। क्या सवर्ण कपड़ा धोने, मैला उठाने और चमड़ा कमाने का कार्य स्वाभाविक रूप से करते हैं? आरक्षण का विरोध करने वाले कभी आरक्षण पा रहे वंचित तबके की जिंदगी में झांककर देखें। आज एक वर्ग ऐसा है, जिनके मां–बाप सुबह उठकर सैर करने और अखबार पढ़ने का काम करते हैं, जबकि एक वर्ग ऐसा है जो सुबह–सुबह उठकर झाड़ू लगाने या सिर पर मैला ढोने का कार्य करता है।

अपने लिए आरक्षण मांगते समय इस बारे में जरूर सोचें कि रिजर्वेशन का हकदार कौन है? आखिर कब तक अलग–अलग समुदाय के लोग उठकर देश को आरक्षण के आंदोलन में झोंकते रहेंगे? रोज–रोज उठने वाली आरक्षण की मांग का एक समाधान यह भी हो सकता है कि जिस जाति का जितना प्रतिशत समाज में है, उसी के अनुपात में सरकारी नौकरियां बांट दी जाएं। ज्यों ही इस व्यवस्था को लागू करने की बात सामने आएगी, आरक्षण की मांग करने वाली दबंग जातियां अपने–आप मैदान छोड़ कर भाग जाएंगी। ऐसा करने के लिए जबर्दस्त राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आरक्षण की गुत्थी सुलझाने का फिलहाल यह एक अचूक तरीका हो सकता है ।

***

परिसंघ की रैली

3 दिसंबर, 2018
रामलीला मैदान, नई दिल्ली

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की महारैली आगामी 3 दिसंबर, 2018 (सोमवार) को प्रातः 10 बजे से रामलीला मैदान, (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास), नई दिल्ली में आरक्षण सहित अन्य अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारों के मुद्दों पर होना सुनिश्चित हुई है। लगातार दलितों पर बढ़ते हुए अत्याचार/ भेदभाव व उत्पीड़न की घटनाओं के बावजूद भी यदि हम शांत बैठे रहे तो हमारे अधिकार कोई नहीं बचा सकता। इन घटनाओं के पीछे एक बड़ा मकसद हमारी सहनशीलता का परीक्षण भी है। परिसंघ के सभी पदाधिकारियों से आग्रह है कि इस रैली की सफलता के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। शीघ्र ही इससे संबंधित प्रचार सामाग्री एवं आवश्यक दिशानिर्देश ''वॉयस ऑफ बुद्धा'' सहित अन्य माध्यमों से आप लोगों तक पहुंचती रेहगी। रेल से यात्रा करने वाले साथी अभी से ही आरक्षण (टिकट) इत्यादि करवा लें। प्रदेश पदाधिकारियों से आग्रह है कि जिन प्रदेशों में अभी तक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन नहीं हुए हैं, शीघ्र ही करलें। जहां पर मुझे आने की जरूरत समझें, मैं स्वयं आ सकता हूं।

रैली से संबंधित खबरों से अपडेट रहने के लिए परिसंघ के फेसबुक www.facebook/aiparisangh पेज को लाइक करे, ट्विट्र @aiparisangh को फॉलो करें और युट्यूब aiparisangh को भी देखें और परिसंघ की वेबसाइट www.aiparisangh.com को देखें। किसी भी जानकारी के लिए राष्ट्रीय कार्यालय में **सुमित मो. 9868978306** से सम्पर्क करें।

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय चेयरमैन

AlParisangh AlParisangh 9899766443 parisangh1997@gmail.com All India Parisangh www.aiparisangh.com

नस्लीय टिप्पणीः भारतीय रेस्तरां में खाने के बाद अमेरिकी ने एफबी पर लिखा- शायद अल कायदा को पैसे दे रहा हूं

न्यूयॉर्क : अमेरिका पर भारतीय मूल के रेस्तरां मालिक पर नस्लीय टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। रेस्तरां में आए एक ग्राहक और उसके परिवार का स्वागत भारतीय रीति-रिवाज से किया गया था। खाना खाने के बाद उसने रेस्तरां का फोटो क्लिक किया था। बाद में उसने फोटो को टैग करते हुए फेसबुक पर लिखा कि शायद मैं अल कायदा को पैसा दे रहा हूं। ऐशलैंड में किंग्स डिनर के नाम से रेस्तरां चलाने वाले ताज सरदार ने बताया, यह कमेंट पढ़ने के बाद काफी दुख हुआ। मैं समझ नहीं पाया कि क्या वह गंभीर था? सरदार ने बताया कि वह 2010 से ऐशलैंड में रह रहे हैं। उम्मीद है कि उस व्यक्ति के साथी मुझे बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे।

प्रशासन से मिला सपोर्ट

फेसबुक पर नस्लीय टिप्पणी होने के बाद ताज सरदार को उनके दोस्तों का समर्थन मिल रहा है। वहीं, ऐशलैंड के मेयर स्टीव गिलमोर ने तीन सिटी कमिश्नर के साथ रेस्तरां का दौरा किया और सरदार को सांत्वना दी। गिलमोर ने कहा कि शहर में नस्लीय बर्ताव करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। ताज सरदार अपने परिवार के साथ कानूनी रूप से 2006 में अमेरिका गए थे। 2010 में उन्होंने ऐशलैंड में यह रेस्तरां खोला था।

आरोपी को नौकरी से निकाला गया

सूत्रों के मुताबिक, नस्लीय टिप्पणी करने वाले शख्स को पोर्ट्समाउथ इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस ने बर्खास्त कर दिया है। कंपनी का कहना है कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के बारे में जानकारी मिली है। हम और हमारी 650 सदस्यों की टीम इसके लिए ताज सरदार से माफी मांगते हैं।

https://www.bhaskar.com/world-news/i-probably-funded-al-qaeda-indian-origin-restaurateur-racially-abused-5938511.html

***

केरल : बाढ़ में फंसे सवर्णों ने दलितों के हाथ से बना खाना खाने से किया इंकार, मामला दर्ज

मौत के मुंह में समाए सवर्ण खासकर ब्राह्मण जब जाति और वर्ण पूछकर नावों में बैठने की बात करते हैं तो लगता है कि बाढ़ की तबाही देश को बहुत कुछ नया सिखा गयी, पर इन जातिवादियों पर उसका कोई असर न हुआ। बता रही हैं प्रेमा नेगी :

भयंकर बाढ़ के बीच भी याद रहा जातिवाद और छुआछूत का सवर्णी संस्कार

जीव की प्रकृति है कि वह संकट में एक हो जाता है। पर भारतीय उप महाद्वीप के मनुष्यों ने इस मानवीय गरिमा से अपने को मुक्त रखा है। वे घनघोर संकट में भी अपनी जातीय सांप्रदायिक श्रेष्ठता के दस रास्ते खोज लाते हैं और उसी में आनंदित होते हैं। केरल में भी उसी जातीय, पौराणिक मूर्खता के प्रहसन का चरमोत्कर्ष देखने को मिला कि जब जिंदगी मौत के मुंह में समाने को थी और तब भी कुछ 'संस्कारी' नेऊ और जाति खोजने में लगे हुए थे केरल में आई बाढ़ के बीच 25 जुलाई को अलापुझा जिले के हरिपद में 20 लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत इसलिए मुकदमा दर्ज करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने दलितों का खाना अपने साथ नहीं बनने दिया और न ही उनका बनाया खाना खाया। सवर्णो के लिए राहत कैंप में दूसरा चूल्हा जलाना पड़ा। केरला पुलायार महासभा ने जिलाधिकारी को दिए अपनी शिकायत में कहा कि अंजीलीमूदू के पालीपद प्राथमिक विद्यालय में लगे खाने के कैंप में कुछ लोगों ने दलितों को बहुत बेइज्जत किया और उनका बनाया खाना नहीं खाया।

बाढ़ में फंसे ब्राह्मण परिवार ने नाव पर चढ़ने से पहले पूछा नाविक का धर्म

दूसरी घटना केरल के कोल्लम जिले की है, जहां कुछ लोगों ने एक नाव पर इसलिए चढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि उसका नाविक एक क्रिश्चियन था। 47 वर्षीय मछुआरे मैरिअन जॉर्ज ने वेबसाइट सीएनएन को बताया कि 17 अगस्त को जब वह कोल्लम जिले के एक परिवार जिसमें 17 लोग थे, जब उनको लेने बाढ़ से निकाल सुरक्षित स्थान पर ले जाने पहुंचा तो उनका पहला सवाल था, 'यह एक क्रिश्चियन बोट नहीं है न?' जॉर्ज ने कहा, हां यह एक क्रिश्चियन की बोट है और मैं क्रिश्चियन हूं।' मछुआरा मैरियन जॉर्ज केरल के उन हजारों स्वयंसेवी मछुआरों में से एक था जो अपनी इच्छा से, बगैर किसी सरकारी मदद के केरल के भीतरी और शहरी इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं।

मैरियन जॉर्ज के मुताबिक, 'मुझसे सवाल करने वाला परिवार हिंदुओं की ऊंची जाति ब्राम्हण से था। परिवार चाहता था कि जब वे मेरी नाव में बैठे तो उनका शरीर मुझसे किसी तरह से न छुए। मैंने कहा भी, आप लोग आ जाइए, मुझसे आपका शरीर नहीं टच करेगा। पर बाद में उनमें से एक ने मेरी नाव में बैठने से ही साफ इनकार कर दिया।' पांच घंटे बाद जब जॉर्ज वापस लौटा तो अभी उस परिवार को रेस्क्यू नहीं किया गया था। वह परिवार फिर से जॉर्ज को देखते ही मदद के लिए चिल्लाने लगा। लेकिन तब भी इस परिवार ने कहा कि देखना, हमसे तुम्हारा शरीर न छू जाए। खैर, जॉर्ज ने इस जातीय सांप्रदायिक भेदभाव को सहन करते हुए ब्राम्हण परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले गया, क्योंकि उसे इंसान बचाना था जाति नहीं।

भेदभाव के पीछे द्विजवादी मानसिकता आरएसएस विचारक एस गुरुमूर्ति ने कहा कि केरल में आई बाढ़ की तबाही का असली कारण है, केरल के सबरीमाला मंदिर में औरतों के घुसने की इजाजत देना। मूर्खों और पोंगापंथियों जैसी बात करने वाले एस गुरुमूर्ति स्त्रियों की हकों को संविधान सम्मत ढंग से लागू किए जाने के प्रबल विरोधी संगठन आरएसएस के विचारक ही नहीं हैं, बल्कि मोदी सरकार ने उन्हें हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्त भी किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसी अवैज्ञानिक सोच का आदमी अगर देश की शीर्षस्थ आर्थिक संस्था के मुखिया के तौर पर बैठेगा तो देश का बेहतर आर्थिक विकास कैसे संभव है, अगर होगा भी तो औरतें और हाशिए का समाज कहां होगा? हालांकि ऊचे पदों पर बैठे लोगों द्वारा अंधविश्वासी बातें करना कोई नई बात नहीं है, गांधी ने भी एक बार ऐसी बात कही थी, जिसकी कवि रवींद्र नाथ टैगोर ने खुली आलोचना की और बताया कि गांधी आपकी बातों से अंधविश्वास का बढ़ावा मिलता है, समाधान भले न निकले। 1934 में बिहार में आए भूकंप के बारे में गांधी ने कहा कि भूकंप की यह तबाही इसलिए आई है, क्योंकि यहां छुआछूत और जातीय भेदभाव बहुत ज्यादा है। इन दोनों उदाहरणों से समझें तो साफ होगा कि गांधी हों या गुरुमूर्ति दोनों को ही अपनी बातों को सही साबित करने के लिए अंधविश्वासों और अवैज्ञानिक बातों का सहारा लेना पड़ा। ये सहारा एक समानता वाले राष्ट्र की नींव कभी नहीं रख पाएगा और न रख पाया। देश में जातीय भेद और उसके समर्थन वाले संस्कार भारतीय समाज के डीएनए बन गए हैं और अमानवीयता और गैरबराबरी का बड़ा आधार जातीय भेद है।

ढकोसले से दूर नहीं होगा छुआछूत

ख्यात लेखक और दलित चिंतक शरण कुमार लिंबाले कहते हैं, जिस तरह का जातिवाद, छुआछूत, संप्रदायवाद केरल में नजर आया वह केवल वहीं तक सीमित नहीं है, भारत में जब-जब जहां-जहां ऐसे हादसे होते हैं वहां देशभर में यह आमतौर पर नजर आया है। जातिवाद हमारे खून में इस तरह व्याप्त है कि यह जन्म से शुरू होकर मृत्यु के बाद तक कायम रहता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई किसी धर्म का हो, राष्ट्रपति से लेकर गांव का मुखिया तक हरेक के मन में जातिवाद छुपा है। हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में कहें तो मनुवाद ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है हर इंसान के मन में।

जाति की अक्षयता और आगे का रास्ता/लिंबाले

आगे बताते हैं कि यह खुशी और गम दोनों में समान रूप से हावी रहता है। जातिवाद ने मनुष्य को किस तरह जकड़े हुए है उसे इससे समझा जा सकता है सवर्ण जाति का इंसान मर रहा हो और कोई दलित उसे छू ले तो वह कहेगा कि तू मुझे मत छू नहीं तो मैं अपवित्र हो जाउंगा मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं मरने के बाद नरक में जाउंगा, मोक्ष नहीं मिलेगा मुझे। इन कुछ सालों में तो जातिवाद धर्म को तो जैसे खुलेआम संरक्षण मिला है, वह अकल्पनीय है। कब कौन जातिवाद, धर्म, संप्रदाय के नाम पर मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाए कहना मुश्किल है। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की पहल की है, मगर स्वच्छ भारत तब होगा जब मनुष्य का मन स्वच्छ होगा और समाज में नवजागरण आएगा। नए कपड़े, बॉब कट हेयरस्टाइल, फॉरव्हीलर, बुलेट ट्रेन तक की यात्रा से नवजागरण और स्वच्छ भारत नहीं होगा, क्योंकि मन अभी भी 16वीं सदी का है। मन की स्वच्छता के बगैर यह सिर्फ एक ढकोसला है।

https://www.forwardpress.in/2018/08/keral-baadh-mein-phanse-savarnon-ne-daliton-ke-haath-se-bana-khaana-khaane-se-kiya-inkaar-maamala-darj/

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या **0636000102165381** जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

सिरपुर (छत्तीसगढ़) में है दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्थल, 2000 साल पहले चलते थे जहाज

रायपुर : राजधानी से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिरपुर में दुनिया का अब तक मिला सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है। ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी में चीनी यात्री व्हेनसांग सिरपुर आए थे। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में सिरपुर का वर्णन करते हुए लिखा है, दक्षिण कोसल की राजधानी में सौ संघाराम थे। वहां का राजा हिंदू था और उस राज्य में सभी धर्मो का समादर होता था। यहां बंदरगाह भी मिले हैं जो हजारों साल पहले यहां जहाज चलने की बात को प्रमाणित करते हैं।

सिरपुर में अब तक 10 बौद्ध विहार और लगभग 10000 बौद्ध भिक्षुओं के अध्ययन के पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं। इसके अलावा यहां कई बौद्ध स्तूप और बौद्ध विद्वान नागार्जुन के यहां आने के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल गया के बौद्ध स्थल से भी बड़ा है। चीनी यात्री व्हेनसांग के यात्रा वृत्तांत के आधार पर जब इस स्थान की खुदाई की गई तो वे सभी विशेषताएं पाई गईं जिनका उल्लेख व्हेनसांग ने किया है।

सिरपुर में भगवान बुद्ध के आने के भी प्रमाण मिले हैं, प्राचीन समय में सिरपुर एक अतिविकसित और समृद्ध राजधानी थी, यहां से विदेशों के साथ व्यापार किया जाता था। यहां सोने-चांदी के गहने बनाने के सांचे, अस्पताल, बंदरगाह आदि के अवशेष मिले हैं।

https://www.facebook.com/groups/796312180505091/permalink/1321253378010966/

***

खतरे में मुक्त व्यापार व्यवस्था

डॉ. भरत झुनझुनवाला

एक समय अमेरिका विश्व व्यापार संगठन यानी डब्लूटीओ की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभा रहा था, लेकिन आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसी डब्लूटीओ को नुकसानदेह बता रहे हैं। इसे समझने के लिए पहले मुक्त व्यापार के सिद्धांत को समझें। यह सिद्धांत यही है कि हर एक क्षेत्र किसी खास वस्तु के उत्पादन में महारत रखता है। जैसे भुसावल में केले का उत्पादन सस्ता पड़ता है और मेरठ में चीनी का। दोनों के लिए लाभप्रद है कि भुसावल केले का उत्पादन करके मेरठ को भेजे और मेरठ चीनी का उत्पादन कर उसे भुसावल भेजे। इससे दोनों को केला और चीनी सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन अब दूसरी स्थिति को समझें, जिसमें अमेरिका लड़ाकू विमान सस्ता बनाता है और भारत दूध का उत्पादन सस्ता करता है।

मुक्त व्यापार के सिद्धांत के अनुसार अमेरिका को लड़ाकू विमानों का निर्यात करना चाहिए और भारत को दूध का। अब मान लीजिए कि अमेरिका लड़ाकू विमानों का दुनिया में इकलौता उत्पादक है और उसके एवज में वह मनचाहा दाम चाहता है। ऐसे में भारत के हित में यही होगा कि वह अपने देश में ही लड़ाकू विमान बनाए। मुक्त व्यापार का सिद्धांत तब नाकाम हो जाता है जब किसी विशेष देश का किसी माल पर एकाधिकार होता है जैसे लड़ाकू विमान के मामले में अमेरिका का है। 1990 के दशक में अमेरिका में नए तकनीकी आविष्कार हो रहे थे जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सॉफ्टवेयर बनाया, सिस्को ने राउटर सिस्टम बनाए, एचपी ने प्रिंटर इत्यादि बनाए। अमेरिका इन एकाधिकार वाली वस्तुओं को दुनियाभर में बेचना चाहता था। तब उसके लिए मुक्त विश्व व्यापार दोहरे लाभ का सौदा था।

एक तरफ विंडोज सॉफ्टवेयर जैसे एकाधिकार वाले माल को अमेरिका मुंहमांगे दाम पर बेचकर दुनियाभर से लाभ कमाता था। दूसरी ओर भारत से सस्ती चीनी का आयात करके लाभ उठाता था। इसीलिए अमेरिका ने उस समय मुक्त व्यापार की जोरशोर से पैरवी की और डब्लूटीओ को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। पिछले कुछ समय में हालात बदल गए हैं। अब विंडोज जैसे सॉफ्टवेयर, सिस्को के राउटर या प्रिंटर जैसे माल तमाम देश बनाने लगे हैं। अमेरिका के पास एकाधिकार वाले उत्पाद कम रह गए हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए विश्व व्यापार घाटे का सौदा हो गया है। एकाधिकार वाली वस्तुओं की संख्या कम होने से उसके पास महंगा माल बेचने के आज कम अवसर हैं। अब अमेरिका की स्थिति भुसावल और मेरठ जैसी हो गई है। अमेरिका सेब का उत्पादन करके भारत को भेज सकता है और भारत चीनी का उत्पादन कर अमेरिका को भेज सकता है।

इस प्रकार का विश्व व्यापार वास्तव में दोनों देशों के लिए लाभप्रद है, लेकिन इस स्थिति में अमेरिका और भारत के श्रमिकों के वेतन भी बराबर हो जाएंगे। जैसे अमेरिका में सेब के उत्पादन में यदि श्रमिक की दिहाड़ी 6,000 रुपये है और भारत के कुल्लू में श्रमिक की दिहाड़ी 400 रुपये है तो भारत का सेब अमेरिका के मुकाबले सस्ता पड़ेगा और अमेरिका का सेब भारत में नहीं बिक पाएगा।

खुले विश्व व्यापार का तार्किक परिणाम यह होगा कि संपूर्ण विश्व में वेतन भी बराबर होंगे। यदि ऐसा होता है तो विकसित देशों के वर्तमान में ऊंचे वेतन नीचे आएंगे जो अमेरिका को स्वीकार नहीं हैं। इसलिए अमेरिका चाहता है कि अब यह विश्व व्यापार से पीछे हट जाए जिससे भारत का सस्ता सेब और सस्ती चीनी, अमेरिका में प्रवेश न करे और अमेरिका के सेब उत्पादक अपने श्रमिकों को पहले की ही तरह ऊंचा वेतन देते रहें। इसी सोच के तहत अमेरिका ने बीते दिनों भारत और चीन से आयात होने वाले इस्पात पर भारी आयात कर लगाया। भारत में इस्पात का उत्पादन सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहां श्रमिकों के वेतन कम हैं। ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले इस्पात पर आयात कर इसलिए बढ़ाए ताकि अमेरिका के इस्पात उत्पादकों का धंधा चौपट न होने पाए। अमेरिका का मुक्त व्यापार से पीछे हटना यह बताता है कि अब वहां नई तकनीकों का सृजन कम हो रहा है। अमेरिका को मुक्त व्यापार में अब विश्व के तमाम देशों से टक्कर लेनी पड़ रही है जिसमें वह असफल हो रहा है। अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्लूटीओ को ही खंडित करने की रणनीति बना ली है। डब्लूटीओ के नियमों में व्यवस्था है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी देश किसी विशेष माल पर आयात कर लगा सकता है। इस प्रावधान का उपयोग करते हुए अमेरिका ने भारत में उत्पादित इस्पात पर आयात कर बढ़ाया, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इस्पात के उत्पादन में राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई पेंच नहीं है।

अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मनचाही मात्रा में इस्पात का उत्पादन कर सकता है। उसके लिए भारत से इस्पात के आयात का कोई संकट पैदा नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ढाल के रूप में उपयोग करते हुए भारत से आयातित इस्पात पर आयात कर बढ़ा दिया। उन्होंने एक कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है जिसके अंतर्गत डब्लूटीओ के नियमों के बावजूद अमेरिकी सरकार उत्पादों पर मनचाहे आयात कर लगा सकेगी। डब्लूटीओ संधि करते समय सभी देशों ने अपने द्वारा लगाए जाने वाले अधिकतम आयात कर की सीमा निर्धारित कर दी थी। अब ट्रंप ने नया कानून बनाकर उस संधि को पलटने की योजना बनाई है। यदि अमेरिका ने पूर्व में डब्लूटीओ को आश्वासन दे रखा है कि वह किसी विशेष उत्पाद पर एक सीमा तक ही आयात कर लगाएगा तो अब वह उससे ज्यादा आयात कर लगाने के लिए डब्लूटीओ की मूल भावना के विपरीत कानून बनाने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्लूटीओ की भावना के खिलाफ एक और कदम उठाया है। डब्लूटीओ में देशों के बीच कोई विवाद उठने पर उसकी अपील डब्लूटीओ की अपीलीय व्यवस्था में की जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपीलीय व्यवस्था में नए जजों की नियुक्ति पर सहमति नहीं दी है। वहां जजों की संख्या कम होती जा रही है और शीघ्र ही अपीलीय व्यवस्था में एक भी जज नहीं रह जाएगा। ऐसे में अपीलीय व्यवस्था निरस्त हो जाएगी और डब्लूटीओ के दायरे में विवादों को हल करने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। तब अमेरिका समेत हर देश खुलकर डब्लूटीओ के नियमों का उल्लंघन कर सकेगा, क्योंकि इस मामले में अपील ही नहीं हो पाएगी। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने सही कदम उठाते हुए तमाम देशों को आमंत्रित किया था कि डब्लूटीओ पर नई पहल की जाए, लेकिन भारत अथवा किसी दूसरे विकासशील देश द्वारा की गई इस पहल का सफल होना लगभग असंभव है। इसका कारण यह है कि विश्व व्यापार मूलतः विकसित देशों के लिए अब उतना लाभदायक नहीं रह गया है। विश्व अर्थव्यवस्था संपूर्ण विश्व में श्रम के एक ही वेतन की ओर बढ़ रही है जो कि विकसित देशों को स्वीकार नहीं है। इसलिए विश्व अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार के अंत की आशंका ही अधिक दिखती है।

***

बेचारी नहीं, विद्रोहिणी है पर-पुरुष के पास गई अहल्या

बोधिसत्व

भारतीय विधि संहिता निर्माताओं को यह बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं था कि कोई विवाहिता स्त्री अपने पति के अलावा किसी और पुरुष से शारीरिक संबंध बनाने की सोचे। ऐसा करने के बाद वह उस रिश्ते में रहते हुए जीवित रह जाए, इसकी तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए जमदग्नि की पत्नी यानी परशुराम की मां रेणुका को ही लें। उसने मन ही मन बस कल्पना की कि राजा चित्ररथ के साथ जल क्रीड़ा कर रही रानियों में वह भी शामिल हो। जमदग्नि ने उसकी इस आंतरिक सोच को भी भांप लिया और उसे मानसिक व्यभिचारिणी घोषित कर दिया। ऋषि ने अपने पांच पुत्रों में से ही किसी के हाथों रेणुका की हत्या की युक्ति निकाली और अंत में सबसे छोटे परशुराम के हाथों मां की हत्या का घिनौना प्रसंग हमारे महान भूखंड में घटित हुआ। जब रेणुका का मानसिक संबंध या संकल्पना समाज के लिए या पुरुष के लिए असह्य थी तो अहल्या की स्थिति की बस कल्पना ही की जा सकती है। वह तो एक पर-पुरुष इंद्र से प्रेम कर बैठी और अपनी कामेच्छा की पूर्ति के लिए इंद्र की हार्दिक आभारी भी थी।

महाभारत का संदर्भ लें तो शरद्वान गौतम ने जमदग्नि का ही अनुकरण करते हुए अपने पुत्र चिरकारी को आदेश दिया कि वह अपनी मां की हत्या कर दे। पुत्र द्वारा पिता के आदेश को अमल में न ला पाने के कारण यहां अहल्या का जीवन बच गया। लेकिन बाल्मीकि रामायण में कठोर शाप पाकर वह राख से ढंकी, समाज से अदृश्य जीवन जीने को विवश दिखती है। अहल्या ने समाज और स्मृति ग्रंथों के सारे नियम कामेच्छा के अग्निकुंड में स्वाहा कर दिए और विवाहित होते हुए भी एक गैर-मर्द से शारीरिक संपर्क बनाए। उसे तो मरना ही था, और वह मारी भी गई- पत्थर बना कर, राख से ढंक कर। रामायण के बालकांड के अध्याय अड़तालीस-उनचास में आई अहल्या की कथा के अनुसार अहल्या जानती है कि उसके सामने जो व्यक्ति प्रेम निवेदन कर रहा है वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवराज इंद्र हैं। वह इंद्र के निवेदन को उत्कंठा से स्वीकार करती है और प्रणय सुख पाकर कृतार्थ और आभारी होती है।

इन सबके बीच उसे अपने पति और उनको कोप का भी ध्यान है। लेकिन वाल्मीकि की कथा को उनके बाद का लेखक-कवि समुदाय और समाज सहन नहीं कर पाया। उसने इस प्रकरण को इस तरह मोड़ दिया कि अहल्या ने जो कुछ किया वह अनजाने में किया, या उसके साथ धोखा हुआ। चंद्रमा ने मुर्गा बनकर बांग दी, जिससे गौतम को भ्रम हुआ कि सुबह हो गई और वह गंगा स्नान के लिए चले गए। इस बीच इंद्र ने गौतम का रूप धरकर अहल्या के साथ शारीरिक संबंध बनाया। यानी बेचारी अहल्या के साथ छल हुआ। इस तरह भारतीय पौराणिक संसार की पहली विद्रोहिणी या पति-विरक्त पर-पुरुषाकांक्षी स्त्री को एक छली गई भोली स्त्री में परिवर्तित कर दिया गया। यह अहल्या के प्रेम का अपमान है। उसके विद्रोह को राख से ढंकने का यत्न है।

अगर 'शतपथ ब्राह्मण' के संदर्भ को देखें तो वहां यह कथन मिलता है- 'अहल्यायै जारेति।' यानी इंद्र अहल्या का जार (व्यभिचार का सहभागी) है। इस संदर्भ में वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अध्याय तीस में अहल्या उत्पत्ति के प्रसंग में यह बात साफ-साफ वर्णित है कि इंद्र अहल्या को उसके संरचना काल यानी जन्म से ही अपनी पत्नी मानता रहा है। हम कह सकते हैं कि इंद्र अहल्या को उसके बालपन से ही प्रेम करता रहा है। एक अन्य वृत्तांत में वह अहल्या को बाल सखी कहकर संबोधित करता है। यही नहीं, देवराज होने के कारण अहल्या को पत्नी रूप में पाने का दावा करने वालों में इंद्र सबसे आगे था। लेकिन ब्रह्मा ने उस कन्या का पालन-पोषण करने के लिए मुनि गौतम का चयन किया और अहल्या के वयस्क होने पर उसे गौतम की ही पत्नी बनाने का विचित्र निर्णय भी ब्रह्मा ने ही लिया। इस तरह अहल्या प्रकरण एक गहरे अर्थ संकेत में खाप पंचायतों के क्रूर नियमों की याद भी दिलाता है।

अहल्या को उसके पति शरद्वान गौतम से मिले शाप पर गौर करें- 'तुम इस आश्रम में वायु भक्षण करती हुई, निराहार, तप्त होती हुई, राख में सोती हुई सभी प्राणियों के लिए अदृश्य होकर निवास करोगी।' ये पति के वचन हैं या किसी खाप का दंडादेश अहल्या को शाप के बाद उसके प्रेमी इंद्र का अंडकोष भूपतित हो जाने का शाप दिया जाता है। साथ ही शाप से उसके संपूर्ण शरीर पर अनेक स्त्री योनियां बन जाती हैं। आज भी भारतीय समाज सब कुछ सहन कर सकता है किंतु विवाहित स्त्री को बुरे से बुरे वैवाहिक संबंध से भी बाहर जाने की छूट देता नहीं दिखाई पड़ता।

पाषाणी रूप में अहल्या को सबसे पहले कवि कालिदास ने रघुवंश में वर्णित किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी वह शिलारूप में ही उल्लिखित है। महाकवि कंब ने अहल्या को पाषाणी बताया। तुलसीदास ने भी उपरोक्त वर्णनों से प्रेरित होकर अहल्या को शिलारूप में दिखाया। अहल्या का जीवन और उसकी सोच उसे भारत की पहली स्वतंत्र चेता स्त्री बनाती है। जान-बूझकर पर-पुरुष से प्रेम पहले-पहल उसकी ही नियति में आया। यही नहीं, ऐसा करते समय उसे अपने पति की शक्तियों का भी ध्यान है। इसीलिए वह इंद्र से अपनी रक्षा करने की विनती करती है और ऐसा सोचते ही पर-पुरुष की रक्षिता बनने की स्थिति में आ जाती है। यही अहल्या भाव है, जिसमें एक स्त्री किसी मुनि की उपेक्षित पत्नी बने रहने के बजाय किसी प्रेमी पर-पुरुष की रखैल होना बेहतर मानती है और भयभीत मन से इसे स्वीकार भी कर लेती है। इस सब के पीछे अपने मन का जीवन जीने की भावना ही अहल्या की वास्तविक शक्ति है।

https://blogs.navbharattimes.indiatimes.com/nbteditpage/story-of-ahalya-and-indra/

आखिर क्यों नहीं लड़ा गया मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ कोई स्वतंत्रता संग्राम?

कंवल भारती

उन्नीसवीं शताब्दी में 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहने का क्या अर्थ है? यह उन मूर्खों का आलाप था, जो सिर्फ हिन्दुओं की स्वतंत्रता चाहते थे, और इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं था कि यदि 1857 का विद्रोह, यदि दुर्भाग्य से सफल हो जाता, तो अलग-अलग रियासतों की स्वतंत्र सत्ताएं उन्हीं व्यवस्थाओं को जीवित रखतीं, जिनमें अछूत को समस्त मानवाधिकारों से वंचित थे। बता रहे हैं कंवल भारती :

1857 का विद्रोह और बहुजन

1857 के गदर को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया जाता है। यह मत भारत के ब्राह्मण वर्ग के विद्वानों का है, और उन लोगों का है जो हिन्दुत्ववादी थे और भारत में सामंती शासन चाहते थे। यह वह वर्ग था, जो अपनी धर्म-व्यवस्था पर मुग्ध था और उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहता था। मुसलमान शासकों ने अपने आठ सौ साल के साम्राज्य में ब्राह्मणों की धर्म-व्यवस्था को नहीं छुआ, क्योंकि हिन्दुओं को उनकी धर्म-व्यवस्था पर चलने की पूरी आजादी दी। इसलिये मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ एक भी स्वतंत्रता संग्राम भारत में नहीं लड़ा गया।

किसी भी आंदोलन को नेतृत्व और गतिशीलता देने का काम बुद्धिजीवी वर्ग करता है और दुर्भाग्य से भारत में बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण रहा है। बुद्धिजीवी और ब्राह्मण ये दोनों एक-दूसरे के पर्याय माने गये हैं। मुसलमान शासकों ने इसी ब्राह्मण वर्ग को सारी स्वतंत्रता और सुख-सुविधाएं देकर अपना वफादार बनाकर रखा था। लेकिन यही काम भारत में आने के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी ने नहीं किया। उसने उनकी धर्म-व्यवस्था में दखल देना शुरु किया और इसी दखल के परिणामस्वरूप उन्हें ब्राह्मणों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। दूसरे शब्दों में अंग्रेजों का समाज-सुधार एजेंडा ही उनके विरुद्ध आन्दोलन का कारण बन गया। कम से कम दो बड़े विद्रोह भारत में समाज सुधार के फलस्वरूप ही हुए, जिनमें पहला 1806 में वेल्लौर का सिपाही विद्रोह और दूसरा 1857 का सिपाही विद्रोह। आंबेडकर ने लिखा है कि वेल्लौर का विद्रोह एक छोटी चिंगारी की तरह था, पर 1857 का विद्रोह एक बड़ा अग्निकाण्ड बन गया था। (डॉ. आंबेडकर राइटिंग एण्ड स्पीचेस, वाल्यूम 12, पृष्ठ 140)

वेल्लौर का विद्रोह सिर्फ इस आधार पर हुआ था कि मद्रास आर्मी के चीफ कमान्डर जान क्रैडोक ने एक रेगूलेशन जारी करके सिपाहियों के लिये धार्मिक और जातीय पहचान वाली यूनिफार्म समाप्त करके उसकी जगह नयी यूनिफार्म लागू कर दी थी, जिसमें पगड़ी, दाढ़ी और हाथों में अंगूठियां पहनने की मनाही कर दी गयी थी और इन सबके बदले एक नयी टोपी निर्धारित की गयी थी। सिपाहियों ने इसे अपने ईसाईकरण के रूप में देखा। हिन्दुओं ने नयी टोपी को गाय की खाल से बनी टोपी समझा और मुसलमानों ने दाढ़ी हटाने को अपने धर्म में दखल समझा। अतः दोनों धर्मों के सिपाहियों ने धर्म के नाम पर विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को वेल्लौर किले में मौजूद टीपू के परिवार ने मदद की थी।

इस विद्रोह को भी ब्राह्मण लेखकों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम कहा है और यहां तक लिखा है कि इसी विद्रोह ने 1857 में सिपाही विद्रोह के रुप में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया था। (दि हिन्दू, सण्डे मैगजीन, 6 अगस्त 2006 में देखिए रंगराजन का लेख 'व्हेन दि वेल्लौर सिपायस रिबेल्ड') क्या यह सचमुच स्वतंत्रता संग्राम था? यदि यह वास्तव में ईस्ट इंडिया कम्पनी के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम था, तो वे सिपाही कम्पनी की सेना में भर्ती ही क्यों हुए थे? फिर, यह विद्रोह नये यूनिफार्म रेगूलेशन जारी होने के बाद ही क्यों हुआ? इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह विद्रोह ईस्ट इंडिया कम्पनी के खिलाफ नहीं था, बल्कि उसके द्वारा जारी रेगूलेशन के विरोध में था, जिसने सिपाहियों की धार्मिक और जातीय पहचान समाप्त कर दी थी। यदि कम्पनी इस रेगूलेशन को जारी नहीं करती, तो विद्रोह नहीं होता। तक यह स्वतंत्रता संग्राम किस आधार पर था? यदि यह कम्पनी सरकार को हटाने के आधार पर था, तो स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। परन्तु यदि यह धार्मिक और जातीय स्वतंत्रता के लिये था, तो यह स्वतंत्रता संग्राम था। तब हम इसे धार्मिक स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं।

1857 के विद्रोह का श्रेय सिपाही मंगल पांडे को दिया जाता है। जबकि वह एक रुढ़िवादी और अस्पृश्यता मानने वाला ब्राह्मण था। मेरठ की उसी बैरक में, जिसमें मंगल पांडे था, मातादीन सफाई का काम करता था। घटना है कि एक दिन झाड़ू लगाते समय पांडे का लोटा मातादीन से छू गया। अस्पृश्यता-धर्म को मानने वाले मंगल पांडे से लोटे का छूना सहन नहीं हुआ और उसने मातादीन को गालियां देकर अपमानित किया। इस पर मातादीन ने फटकारते हुए कहा कि लोटा छूने से तुम धर्मभ्रष्ट हो जाते हो, पर जब उन कारतूसों को दांतों से पकड़कर खोलते हो, तो भ्रष्ट नहीं होते, जिनके मुंह पर गाय और सुअर की चरबी लगी होती है। मंगल पांडे ने जब यह सुना तो उसे लगा कि सभी हिन्दू सिपाहियों का धर्म-भ्रष्ट हो गया है। यही घटना सिपाही विद्रोह का कारण बनी। क्या सचमुच सिपाही विद्रोह का यही एक कारण था? यह गले नहीं उतरता, क्योंकि कारतूसों में चर्बी रहती थी, यह सभी सिपाही जानते थे, भले ही वह किसी भी पशु की हो। यदि मंगल पांडे मांसाहारी नहीं था, तो उसके लिये किसी भी पशु की चर्बी वर्जित थी। फिर गाय की चर्बी को लेकर ही विद्रोह क्यों? दूसरे, यह भी गौतलब है कि बगावत के समय भी सिपाहियों ने कारतूसों का उपयोग किया था, तब वे उन्हें किस तरह खोलते थे? सम्भवतः मामला चर्बी का नहीं था, कुछ और भी था।

गाय और सुअर ये दो पशु हिन्दू और मुसलमानों के धर्म से जुड़े हैं। हिन्दू गाय को माता कहते हैं, जो उनके धर्म में एक पूजनीय पवित्र पशु है, जबकि मुसलमानों के लिये सुअर एक गंदा पशु है और इस्लाम में उसका छूना और मांस खाना हराम माना गया है। हिन्दुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के काम में साम्प्रदायिक शक्तियां प्रायः इन्हीं दो पशुओं का उपयोग करती आयी हैं। 1857 में भी ब्राह्मण शक्तियों ने यही किया। उन्होंने कारतूसों में गाय की चर्बी को अपनी धर्म-व्यवस्था की लड़ाई के लिये एक कारगर हथियार के रूप में देखा। इस धर्म-युद्ध में मुसलमान भी ब्राह्मणों के साथ आ जायें, इसलिये गाय के साथ सुअर को भी एक साथ जोड़ा गया। हो सकता है कि मातादीन इस काम में ब्राह्मणों का ही सन्देश वाहक रहा हो। यहां भी वही सवाल विचारणीय है, जो वेल्लौर विद्रोह में था। जिन ब्राह्मणों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, जैसा कि सावरकर और हरदयाल आदि ने कहा था, तो वे इस बात पर विचार नहीं करते कि यदि कारतूसों में गाय या सुअर की चर्बी न लगायी होती, या इसका भान ही न हुआ होता, तो क्या तब भी कोई विद्रोह होता? यदि चर्बी ही मुख्य कारण था, तो जाहिर है कि कोई विद्रोह नहीं होता। फिर, उसे स्वतंत्रता संग्राम किस आधार पर कहा जा सकता है? दरअसल यह विद्रोह भी समाज सुधार कार्यक्रम का प्रतिफल था। यह अपनी धर्म-व्यवस्था को बचाने का संग्राम था। यह हिन्दुओं की धार्मिक स्वतंत्रता का मामला था, भारत की स्वतंत्रता से कोई सम्बन्ध नहीं था। इस विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता संग्राम का रूप देने की कोशिश रुढ़िवादी ब्राह्मणों और कुछ देशी राजाओं और नवाबों ने की थी, जिनकी रियासतें अंग्रेजी राज में खतरे में थीं। सिपाही-विद्रोह के मूल कारण पर आते हैं। यह विद्रोह बंगाली आर्मी ने किया था। यह सिर्फ नाम की बंगाली आर्मी थी, इसमें बंगाल का कोई भी सिपाही नहीं था। यह आर्मी मुख्य रूप से अवध और दोआबा क्षेत्र के उच्च जातीय लोगों को लेकर बनी थी। इसमें अधिकांश ब्राह्मण सैनिक थे, जो अपना सबसे ज्यादा समय नहाने और पूजापाठ में लगाते थे। इसलिये, यह आर्मी ब्राह्मण साजिश का आसानी से शिकार हो गयी।

अवध प्रांत और बनारस के ब्राह्मण, अंग्रेज सरकार के सामाजिक सुधार कानूनों से क्षुब्ध थे। वे चाहते थे कि मुगलों की तरह अंग्रेज भी उनकी धर्म-व्यवस्था में दखल न दें, पर अंग्रेजों ने कई मामलों में दखल देना जरूरी समझा। इस सम्बन्ध में डॉ. आंबेडकर ने कुछ सुधारों का उल्लेख किया है, जिनका संक्षिप्त वर्णन करना यहां जरुरी है। वे लिखते हैं, सारी सामाजिक बुराइयां धर्म पर आधारित हैं। एक हिन्दू, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह जो भी काम करता है, धर्म के अनुसार करता है। वह खाता धर्म के अनुसार है, पीता धर्म के अनुसार है, नहाता धर्म के अनुसार है, पहनता धर्म के अनुसार है, उसका जन्म धर्म के अनुसार होता है, विवाह धर्म के अनुसार होता है और दाह संस्कार भी धर्म के अनुसार होता है। उसके सारे क्रिया-कलाप धर्म के अनुसार होते हैं। इसलिये धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण से जो बुराइयां पापपूर्ण दिखायी देती हैं, वे उसके लिये पापपूर्ण नहीं होतीं, क्योंकि उसका धर्म उन्हें पुण्य मानता है। इसलिये पाप के दोषी हिन्दू का उत्तर यह होता है- ''यदि मैं पाप कर रहा हूँ तो धर्म के अनुसार कर रहा हूँ।'' (देखिए, डॉ. आंबेडकर : राइटिंग एण्ड स्पीचेस, वाल्यूम-12, पृष्ठ 116-137)

समाज हमेशा रूढ़िवादी होता है। वह तभी बदलता है, जब उसे बदलने के लिये दबाव डाला जाता है। ऐसे दबाव जब भी डाले जाते हैं, पुरातन और नवीन के बीच हमेशा संघर्ष होता है। इसलिये कानून की सहायता के बिना किसी बुराई को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, खास तौर से धर्म पर आधारित बुराई को तो बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेजों की कम्पनी सरकार ने छः सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिये कानून बनाने की जरूरत समझी। इनमें पांच कानून विद्रोह के पहले बने और छठवाँ कानून विद्रोह के बाद 1860 में बना, जो स्त्री के यौन-उत्पीड़न और बलात्कार को रोकने के लिये पैनल कोड सेक्शन 375 के अन्तर्गत लाया गया था। विद्रोह के पहले के पांच कानून ये थे-

1. बंगाल रेगूलेशन एक्ट 1795 जो बनारस प्रांत में, ब्राह्मणों के 'कुर्रा' की प्रथा को रोकने के लिये लाया गया था, जिसमें वे अपनी स्त्रियों की हत्या कर देते थे। इसी कानून के तहत ब्राह्मण को भी हत्या करने पर मृत्यु दंड के दायरे में लाया गया था, जिससे वह अभी तक बाहर था।

2. 1802 का रेगूलेशन एक्ट, जो मासूम बच्चों की धर्म के नाम पर बलि देने की प्रथा को रोकने के लिये लाया गया था।

3. 1829 का रेगूलेशन एक्ट, जो सती प्रथा को रोकने के लिये लाया गया था, जिसमें हिन्दू अपनी विधवा स्त्रियों को जिन्दा जला देते थे।

4. जाति-निर्योग्यता निवारण अधिनियम एक्ट, 1850, सेक्शन-9, रेगूलेशन एक्ट, 1832 का विस्तार था। यह अछूत जातियों के हित में अस्पृश्यता को रोकने के लिए था।

5. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जो हिन्दू विधवा के पुनर्विवाह को न्यायिक मान्यता प्रदान करने के लिये लाया गया था।

ब्रिटिश सरकार के इस सुधार कार्यक्रम से यह स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कानून ब्राह्मणों की धर्म-व्यवस्था में हस्तक्षेप थे। जिस ब्राह्मण को किसी की भी हत्या करने पर मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था, उसे अन्य हत्याभियुक्तों के समान ही दंड के दायरे में लाने का कानून ब्राह्मणों के लिये, खास तौर से बनारस प्रांत के ब्राह्मणों के लिये, जो अपनी 'कुर्रा' प्रथा के तहत किसी भी स्त्री अथवा लड़की की हत्या करने में कोई संकोच नहीं करते थे, विद्रोह की चिनगारी बनने के लिये काफी था। 1857 में बंगाल आर्मी के विद्रोह के मूल में समाज सुधार की यही चिंगारी थी। दूसरी चिंगारी लार्ड डलहौजी की विलय नीति थी। इस नीति के तहत सतारा, जैतपुर, सम्भलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर की रियासतें विलय कर ली गयी थीं। अन्य रियासतों के अस्तित्व भी संकट में थे। मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर तक भयभीत थे और यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह अंग्रेजों का विरोध करें या समर्थन। चलिए झांसी के उदाहरण को लेते हैं, जिसकी भूमिका इस विद्रोह में सबसे ज्यादा विख्यात है। झांसी पेशवा आश्रित राज्य था। झांसी का राजा गंगाधर एक विलासी और अत्याचारी शासक था। उसका कोई पुत्र नहीं था। इसलिये उसने अपने भतीजे के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसको वह अपने बाद राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। उसके पूर्वज सदैव कम्पनी सरकार के वफादार रहे। पर कम्पनी सरकार ने नहीं माना और रानी को 5 हजार रुपये मासिक की पेंशन देकर झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। रानी ने पेंशन लेने से इनकार कर दिया और कहा कि ''मैं अपनी झांसी नहीं दूँगी।'' रानी ने झांसी को बचाने के लिये अंग्रेजों से युद्ध किया। ये सभी राजे अपनी रियासतों में अपनी सत्ता वापस चाहते थे। इसलिये ब्राह्मणों के साथ इन राजाओं ने भी विद्रोह में साथ दिया।

यहां इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत है कि क्या यह स्वतंत्रता संग्राम था? यदि यह स्वतंत्रता संग्राम था, तो क्या सैकड़ों रियासतों में विभाजित भारत में एक अखंड स्वराज की अवधारणा तब तक विकसित हो गयी थी? स्पष्ट उत्तर है, नहीं। स्वराज की हिन्दू अवधारणा भी ठीक से 1900 के बाद बनी थी। 1930 तक यानी गोल मेज सम्मेलन के समय तक पूर्ण स्वतंत्रता की परिकल्पना तक अस्तित्व में नहीं थी। गांधी और कांग्रेस के नेता डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। ये तो आंबेडकर थे, जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की थी। जब बीसवीं शताब्दी में यह स्थिति तो, उन्नीसवीं शताब्दी में 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहने का क्या अर्थ है? यह उन मूर्खों का आलाप था, जो सिर्फ हिन्दुओं की स्वतंत्रता चाहते थे, और इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं था कि यदि 1857 का विद्रोह, यदि दुर्भाग्य से सफल हो जाता, तो अलग-अलग रियासतों की स्वतंत्र सत्ताएं उन्हीं व्यवस्थाओं को जीवित रखतीं, जिनमें अछूत को समस्त मानवाधिकारों से वंचित थे, विधवा स्त्रियों को जिन्दा जलाया जाता था, मासूम बच्चों की बलि दी जाती थी, अय्याश सामंत चाहे जिस स्त्री या लड़की का अपहरण कराते और बलात्कार करते और ब्राह्मण की हर हिंसा और बर्बरता क्षमा योग्य होती। न पूरे देश में कानून एक होता और न कानून की नजर में सब समान होते। इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले और अखंड हिन्दू भारत का स्वप्न देखने वाले ब्राह्मण लेखकों ने यह देखने के लिये अपनी आंखों का मोतियाबिन्द साफ नहीं किया कि रियासतों को विलय करके भारत को अविभाज्य राज्य बनाने का क्रान्तिकारी कार्य तो अंग्रेज कर रहे थे। कहावत है कि बारह साल बाद घूरे के भी दिन फिर जाते हैं। फिर ये तो इस देश के लाखों दबे-कुचले, दलित, पिछड़े, गरीब, आदिवासी, मेहनतकश लोग थे। उनकी

शेष पृष्ठ 6 पर

आगामी रैली से संबधित पोस्टर का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

दिल्ली चलो! दिल्ली चलो!! दिल्ली चलो!!!

All India Confederation of SC/ST Organizations

"अब न सहेगें अत्याचार – लेकर रहेगें सब अधिकार"

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

के तत्वावधान में

पदोन्नति व निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु एवं दलित आत्याचारों के विरोध में

डॉ. उदित राज
राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ

रैली

3 दिसंबर, 2018
(सोमवार) सुबह 10 बजे

रामलीला मैदान, नई दिल्ली

भारी संख्या में भाग लेकर रैली को सफल बनाएं

निवेदक : देवी सिंह राणा, ओम प्रकाश सिंघमार, परमेन्द्र, गीरीश चन्द्रा पाथरे, सत्या नारायण, सविता कादियान पंवार, संजय राज, राजन हिजम, आदित्य कुमार नवीन (दिल्ली), सुशील कमल, नीरज चक, राज कुमार (उ.प्र.), सिद्धार्थ भोजने, दीपक तभाने, संजय कांबले (महाराष्ट्र), एस.पी. जरावता, विश्वनाथ, सत्यवान भाटिया, महासिंह भूरानिया (हरियाणा), तरसेम सिंह धारु, रोहित सोनकर (पंजाब), मनीराम बडगुर्जर, पंचम राम, विश्राम मीना, एम. एल. रासु, मुकेश मीना (राजस्थान), बाबू सिंह, विजय राज अहिरवार (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहेरा (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, नरेन्द्र चौधरी, विपिन टोपो (म.प्र.), रामूभाई वाधेला, उत्पल कुलकर्णी (गुजरात), एस. करुपइया, पी. एन. पेरुमल (तमिलनाडु), रमन बाला कृष्णन (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), के. महेश्वर राज, प्रकाश राठौर (तेलंगाना), पालटेटी पेन्टा राव (आंध्र प्रदेश), हर्ष मेश्राम, प्रदीप सुखदेवे (छ.ग.), पी. बाला, सदन नसकर, सुब्राता बातूल (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विलिफ्रड केरकेट्ठा (झारखंड), आर.के कलसोत्रा, बी.एल. भारद्वाज (जम्मू व कश्मीर), मदनराम, शिवधर पासवान, शिव पूजन (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, आर. राजा सेगरन, थिपेस, पी. शंकर डोस (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.), प्रदीप बास्फोर, जय करण (असम), सी.बी.सुब्बा (सिक्किम), प्रकाश चन्द्र विश्वास (त्रिपुरा)

पत्राचार : टी-22 अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23354841/42, मो. 9868978306, टेलीफैक्स : 011-23354843

Provide the reservation according to the population

A view of the last days of Maratha Reservation movement in Mumbai

By changes in curriculum and journalism, people should be made aware that those who have received reservation had lived for thousands of years a hellish and discriminated life.

There is hardly any caste in the country today, which does not demand reservation. The Maratha Reservation movement is also on the boom. The Kapu community is also agitating in Andhra Pradesh. The Jaats keep on raising fierce demand for reservation. Due to fear of losing votes, the ruling governments accept everything but later the judiciary rejects the reservation. Political parties neither have the courage accept the truth nor to correct wrong, so the confusion of reservation not ending. Today, the castes which are outside the scope of reservation, also feel that their redemption will be from reservation only, while jobs have remained nominal. In recent days, The Hon'ble Transport Minister Shri Nitin Gadkari Ji, has rightly said that where are any government jobs left now? About 80 percent of the jobs have gone to the private sector, reservation cannot be given to everyone, so this confusion will remain forever.

The upper castes seeking for reservation are not able to achieve it, but the country's loss is increasing due to their movements. All the power of police and administration gets consumed in controlling these demonstration, movements etc. If this energy is well utilized for other works, then creativity in society will increase and crimes will decrease. In order to receive more votes, various politicians support these organisations based on caste or make a handholding with them in the elections. They do not assess whether their demands are correct or not. Because of these politicians, the issue of development becomes secondary. Those who get elected, also talk less about development and more about reservations because they have to fight the elections again. Due to this, the workload of the courts has also increased resultantly the common cases are affected. Social harmony is also affected by such movements leading to a situation where one caste stands against the other.

Government has launched several programs for economic empowerment. To increase the income of the people or to solve the problem of employment, then these schemes have to be implemented in a much better way. This work of better

implementation will not be completed from reservation. at the time of formation of constitution , provision of reservation was made on the basis of backwardness at the social and educational level. In the case of Mandal Commission in 1992, the Supreme Court added the economic base, in the case of reservation for the backward classes. Actually, at this stage, the court did a huge mistake, whose adverse effects are still going on. Thousands of millions of cases are pending in different courts, some are in favor and some are against. It is difficult to estimate how much resources are being spent on these cases. The condition has reached so far that if the Parliament makes laws, then that law is challenged in the court, for which the Attorney General and the Law Ministry are engaged in complete warfare situation. These lawsuits become double-edged sword.

Even if there is a slight mistake then strike and demonstration starts.

On March 20, when the Additional Solicitor General made a debate in the case of Scheduled Castes / Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act, 1989, he made a non-intentional lapse that a bail could be granted. In this way an opportunity for the disadvantaged sections was weakened and the purpose behind this act was over. At this time, the big challenge before the country is to create an understanding that reservation is not the medium of economic empowerment, but a medium of participation in governance. The provision of reservations is kept for those who did not get a share in governance for centuries. Joining a job has also economically uplifted them and they have started living a good life, though they have not become millionaires or billionaires like the other businessmen. There is a need to create a positive atmosphere for reservation. Through the curriculum and journalism, people will have to be explained that those who have received reservation have lived a hellish life for thousands of years. Unfortunately, instead of putting this truth in front, it is either kept hidden or is removed from the discussion.

A new movement everyday

Many people say that caste based reservation is not right, while on the occasion of marriage or death, caste plays a big role. Those who are opposing the reservation, must do the work of cleaning the garment, picking up the dirt and making leather and should look into the lives of the backward caste's people. Today, a class is such that their parents work in the morning to walk and read the newspaper, whereas another class is such that who gets up early in the morning and performs a broom or carry scavenge on his head.

When seeking reservation for yourself, please think who is the actual needy for reservation. For how long people from different communities will put this country in trouble. One possible solution to the demand for reservation is that the government jobs might be kept reserved according to the proportion of that caste in the society. As soon as this idea of implementing this arrangement comes up, the hooligan castes who demand reservation will themselves leave the field and run away. To do this, there is a need for tremendous political will, but at the moment it can be an absolutely correct way to solve the problem of reservation.

Medium of partnership

***

पृष्ठ 4 का शेष

आखिर क्यों नहीं लड़ा गया मुस्लिम .....

हजारों सालों की बिगड़ी नियति को क्यों नहीं बदलना था? ब्राह्मण और राजे-महाराजे भले ही चाहते थे कि अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह सफल हो, अंग्रेज विदा हों और उनकी सामंती धर्म-व्यवस्था बहाल हो, पर पीड़ित बहुजनों के हित में नियति को यह स्वीकार नहीं था। विद्रोह देशव्यापी नहीं हो सका। दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, झांसी, ग्वालियर और बिहार के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा और शीघ्र ही इसको कुचल दिया गया। बम्बई और मद्रास की सेनाओं ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया, वरन् उसे दबाने में भूमिका निभायी। यहां यह जानकारी देना जरूरी है कि बम्बई और मद्रास की सेनाओं का गठन अछूत जातियों के लोगों से किया गया था। उनमें अधिकांश बम्बई के महार और मद्रास के परिया थे, जो अछूत जाति के थे। यही कारण था कि उन्होंने ब्राह्मणों के इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। इसलिए मार्च 1857 में शुरु हुआ विद्रोह जुलाई 1857 तक पूरी तरह शांत हो गया था और देश निरंकुश राजतन्त्रों को विदा कर जनतंत्र की राह में चलने लगा था।

लेकिन एक अन्य विषय पर चर्चा किये बगैर यह लेख अपूर्ण होगा। वह विषय है, विद्रोह के दमन के बाद दलितों और समाज सुधार कार्यक्रम के प्रति अंग्रेज सरकार ने अपनी नीतियों में क्या परिवर्तन किये थे? इस विषय पर मुझे डॉ. आंबेडकर के हवाले से विचार करना होगा। उन्होंने अपने शोध लेख "दि अनटचेबुल्स एण्ड दि पेक्स ब्रिटानिका" में इस विषय में कुछ नये तथ्य प्रस्तुत किये हैं, जो आज के दलित लेखकों को भी अंग्रेज सरकार के प्रति अपनी स्थापनाओं पर फिर से विचार करने के लिये बाध्य कर सकते हैं।

भारत को जीतने के लिये ईस्ट इंडिया कम्पनी ने पहली लड़ाई 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुदौला की सेना से प्लासी में लड़ी और उसकी जीत हुई। बंगाल पर कब्जा करने के बाद कम्पनी ने दूसरी लड़ाई 1818 में महाराष्ट्र के कोरेगांव में लड़ी। यही वह लड़ाई थी, जिसने मराठा साम्राज्य को ध्वस्त किया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। भारत को जिन लोगों की मदद से जीता गया, वे भारतीय थे। वे कौन भारतीय थे, जो विदेशियों की सेना में शामिल हुए? आंबेडकर लिखते हैं कि ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेना में भर्ती होने वाले लोग भारत के अछूत थे। जिन्होंने प्लासी की लड़ाई में भाग लिया, वे दुसाध थे और जिन्होंने कोरेगांव की लड़ाई लड़ी थी, वे महार थे- और दोनों ही अछूत जातियां हैं। इस प्रकार, पहली और दूसरी दोनों लड़ाईयों में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले लोग अछूत जातियों के थे। इस तथ्य को मारक्वेस ने पील कमीशन को भेजी गयी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया था। 1857 के विद्रोह को कुचलने में भी बम्बई और मद्रास की जिस सेना ने मदद की थी, उनमें भी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महार और परिया अछूत जातियों के लोग ही अधिकांश संख्या में थे। इस प्रकार, अछूत जातियों ने न केवल भारत में अंग्रेजी राज कायम करने में मदद की, बल्कि उसे सुरक्षित भी बनाये रखा। पर, ब्रिटिश सरकार ने अछूतों की इन सेवाओं के बदले उनके साथ क्या व्यवहार किया? डा. आंबेडकर लिखते हैं कि सरकार ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। 1890 में उसने भारतीय सेना में अछूतों की भर्ती पर रोक लगा दी। उसने नये सिद्धान्त के तहत सेना में भर्ती के लिये लड़ाकू और गैर-लड़ाकू दो श्रेणियां बनायीं और अछूतों को 'गैर-लड़ाकू' श्रेणी में रखकर उनकी सेना में भर्ती बन्द कर दी। क्या वे लोग, जो भारत को जीतने और विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की तरफ से बहादुरी से लड़े, गैर-लड़ाकू श्रेणी में रखे जा सकते थे? हरगिज नहीं। असल बात यह है कि उनको सेना में सिर्फ इस कारण से नहीं लिया गया, क्योंकि वे अछूत थे। यहां यह सवाल किया जा सकता है कि फिर 1890 से पहले तक ये अछूत ब्रिटिश सेना में क्यों लिये जाते रहे? इसका कारण था, सेना के गठन का नया सिद्धान्त, जो 1890 में बनाया गया था। पहले सिद्धान्त के तहत सेना में सर्वश्रेष्ठ लोगों को लिया जाता था, उसमें जाति और धर्म की कोई समस्या नहीं थी। पर, नये सिद्धान्त में सेना में भर्ती के लिये आदमी की जाति ही उसकी शारीरिक और बौद्धिक योग्यता का मुख्य आधार बन गयी थी। अब एक दल या कम्पनी का गठन पूरी तरह एक ही वर्ग से किया जाने लगा। इस आधार पर सिख, डोगरा, गोरखा और राजपूत रेजिमेंट बनायी गयीं। नये सिद्धान्त में ये लड़ाकू श्रेणी में थे। डा. आंबेडकर यहां सवाल करते हैं कि जब वर्गीय आधार पर सिखों, डोगरों, गोरखों और राजपूतों की रेजिमेंट हो सकती है, तो अछूत रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती थी? दूसरा सवाल उन्होंने यह उठाया कि यदि लड़ाकू वर्ग से भर्ती का सिद्धान्त सही है तो जब तक यह साबित न हो जाय कि अछूत लड़ाकू वर्ग नहीं है, इस सिद्धान्त के आधार पर अछूतों की भर्ती को कैसे रोका जा सकता है? वास्तविकता यह थी कि पुराने सिद्धान्त के तहत सेना में सवर्ण हिन्दुओं की भर्ती बहुत कम होती थी, इसलिये अछूतों को भर्ती किया जाता था। किन्तु, विद्रोह के बाद, जब नया सिद्धान्त बना तो, जैसा कि आंबेडकर लिखते हैं, भारतीय शासकों की जाति निस्तेज हो गयी, तो हिन्दुओं ने ब्रिटिश सेना में घुसना शुरु किया- उस ब्रिटिश सेना में, जो पहले से ही अछूतों से भरी हुई थी, तब दो वर्गों- सवर्णों और अछूतों के सापेक्ष स्तर में समायोजन करने की समस्या पैदा हुई और अंग्रेजों ने, जो न्याय और सुविधा के बीच संघर्ष के मामले में हमेशा सुविधा को प्राथमिकता देते हैं, समस्या का समाधान अछूतों को गैर लड़ाकू वर्ग घोषित कर सेना से, बाहर निकालने का फैसला लेकर किया। इस निर्णय ने अछूतों के जीवन को तबाह कर दिया। सेना में नौकरी अछूतों के सामाजिक स्तर में बदलाव का प्रतीक थी। वह उनमें स्वाभिमान का भाव पैदा करती थी। पर, अब अंग्रेजों ने उन्हें ऊपर से उठाकर नीचे फेंक दिया था।

डॉ. आंबेडकर इसी लेख में आगे लिखते हैं कि 1857 के सिपाही विद्रोह ने अंग्रेजों को हर प्रकार के समाज सुधार के भी विरुद्ध कर दिया था। अंग्रेज आगे कोई खतरा लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से यह खतरा बहुत बड़ा था। विद्रोह ने उन्हें इतना आतंकित कर दिया था कि उन्हें लगने लगा था कि वे समाज सुधार के कारण भारत को खो देंगे। इसलिये भारत पर अपने कब्जे के हित में उन्होंने समाज सुधार की किसी भी योजना को हाथ में लेने से इनकार कर दिया था। अतः कहना न होगा कि इस विद्रोह में ब्राह्मणवाद ने आंशिक रूप से अपना दबाव जरूर बना दिया था।

https://www.forwardpress.in/2018/08/aakhir-kyon-nahin-lada-gaya-muslim-saamraajy-ke-khilaaph-koee-svatantrata-sangraam/

Tamilnadu State Convention of Confederation held at Chennai

Dr. Udit Raj (National Chairman of All India Confederation Of SC/ST Organization and Ex-IRS) took part in 25th year silver jubilee celebration of Dr. Amedkar National Employee Union/BPMS on 28th Auguest, 2018, Tuesday at V.Krishna Menan Hall Giri Nagar, Avadi-54.

This program was coordinated by the district president, Shri Nethaji Kumar OCF, Thiruvallur Dt. The participants included Dr Udit Raj as Chief Guest, Shri Ma Foi. K. Pandiya Rajan, BE, Minister Of Tamil Official language, Tamil Culture and Archeology, Govt Of Tamilnadu. Shri M.Jegan Moorthy , BA ex-MLA President Purachibharatham Kathi, Shri K Satyanarayana IOFS, General Manager OCF, Avadi, Shri Bhavandoss-JGM, Mr. Mathivanan JGM-LO(SC/ST), Shri Shiv Ranjan, Dy. Labour Welfare Commissioner and Mr. Mahabatra , ADGM from OCF Avadi.

Defense Establishment Association office bearers Thangaraju, President and D.Ravichandran, General Secretory OCF(SC/ST) EWA. Shri D Gopal Selva Kumar-Vice President and Shri Ezilan-General Seceretory, CVRD (SC/ST) EWA, P. thulasirajan president S Mahendran from HVF SC/ST EWA. M. Kumar, Gen Secretory ADEU HVF, A.Rajendran Gen Seceretory, Engine factory SC/ST EWA, M.Rajendran. Our affiliated units such ICMR-NIRT SC/ST EVA took part under the leadership of Velmurugan, BSNL-State Gen Secretory, Balavaman & team, SAIL confederation Unit under the leadership of Ravichandran with hundred people in bus participated in addition MFL-SC/ST EWA members, CPCL SC/ST EWA members.

State President S. Karuppiah & other Leaders welcoming Dr. Udit Raj at Chennai

Speech by Udit Raj

National Chairman emphasized the need of unity and active participation in the social media to create awareness among our people about the threats and the challenges against reservation. He said that the assembly parliament and & eminent leaders create law to protect our rights where as such laws are easily diluted by the high courts, supreme court in the form of privatization. All our rights are going away. There will a threat to our Baba Saheb's created constitution of India. Government jobs are striking, and we should pay back to the society. Due to dilution of SC/ST Atrocity Act many of our colleagues lost their life during the protest on 2nd April. Day by day the atrocities on SC/STs are increasing; therefore, to save our constitution birth rights, to fight against atrocities to save reservation in promotion and to achieve reservation in private sector, I appeal you all to take part in 3rd December 2018, Ramlila Maidan New Delhi. Defense Establishment Employees and all the participants to support the rally on 3rd December 2018 he further pointed out people like Dr. Udit Raj who is only fighting for the social cause to protect the rights guaranteed in the constitution. He said that I was amazed after reading the booklet which mentions that he has raised more than 100 questions in the parliaments & I feel proud that he was awarded the best parliamentarian award. Therefore we must support him and his rally to strengthen his movement of All India Confederation for SC/ST Organisation. I feel proud to mention here that S. Karuppaiah, the State president is perfectly leading the Tamil Nadu Units. All the best to everyone.

Further Shri M. Jaganmurthy, Ex-MLA and Honorary president of Defense Establishment Associations and President Purachibartham gave vibrant and creative speech stating that "Our constitutional rights, anti reservation department orders, reservation in promotion SC/ST activity act were protected because of the vibrant initiation and protest by Dr Udit Raj, Hon'ble Member of Parliament, Shri Ram Vilas Passwan Ji, Honorable Minister and Honorable Shri Athawle Ji. I feel proud to mention here that "All India Confederation OF SC/ST organization is the only organization who is fighting for our rights." He too appealed to everyone to take part in the Maha Rally planned to held on 3rd December 2018 in Ramlila Maidan, New Delhi.

The program was very well coordinated by Tamil Nadu state president S. Karuppaiah and his team. It was well executed and organized by Dr. Ambedkar National Employees Union BPMS president M.Manoharan, & D Sadashivam Gen Seceretory Avadi. Our special thanks to GM Shri K Sathyanarayan IOFS and OCF management for their systematic management and support.

Christian rescuer in Kerala

- Ramandeep Bajwa

A Christian fisherman went to a house in Kollam where 17 members of a Hindu Brahmin family were trapped. When he said that he is a Christian, the family refused to get into his boat and waved him away.

As the devastating floods gripped Kerala, thousands scrambled to higher floors of their houses and other buildings desperately waiting for help, which came in form of fishermen who loaded their boats onto trucks and voluntarily travelled to inner towns and villages which were under more than 10 feet of water. Most of the people, who were stranded with depleting food and water, gave them a hero's welcome and thanked them for coming to their rescue but others hurled insults and abused the rescuers.

According to CNN, fisherman Marion George (47) went to a house in Kollam city where 17 members of a family were trapped. When he told them that he had come to help, he was asked if he was a Christian. When he replied that he was Christian, the family refused to get into his boat and asked him to leave. The family were Brahmins, the highest Hindu caste, and would not go near George, despite the precarious condition they were in.

George says five hours later he went to the same neighbourhood again and saw the same family calling for help. He docked his boat close to their home but was again told that the family members will only board the boat if he doesn't touch them, CNN reported. "This is how they behave normally. We thought they would have changed in this situation," says George.

George says he rescued around 150 people in two days before his boat broke down. Several other fishermen have also said that they were insulted by people they were trying to rescue. According to the state government, nearly 3,000 fishermen came forward to join the relief efforts.

People have been reluctant to leave their homes out of fear that their belongings will be robbed. Arun Michael says when he saw the news of flash floods wreaking havoc in the state on TV, he loaded his 32-foot boat onto a truck lent to him by the police and went to Pathanamthitta district. He evacuated more than 1,500 people over a period of three days navigating his boat through strong currents and rising water. On the last day, he rescued 600 people. But he was taken aback when some of the victims eyed him suspiciously and showered him with insults. "They abused me for trying to convince them to evacuate. Some even made me carry their pets to the boat before climbing in themselves," says Arun.

"In some instances, they flatly refused to be rescued. They wanted us to give them food and leave." But many have praised the bravery and ingenuity of Michael and his fellow fishermen. In one daring rescue, Michael and his friends found a house filled with water and when they entered it after breaking a door, they found a mentally-ill woman in one of the rooms. They stacked three tables on top of each other to carry her out, themselves wading through water up to their chins. They had to repeatedly go underwater to stabilise the tables.

The government has announced a compensation of Rs 3,000 for each volunteer fisherman plus the cost of repairing damaged boats.Many fishermen are waiting for the authorities to deliver the money so they can repair their boats and go fishing again but Michael isn't one of them. "My boat is damaged but I won't take money from the government," he says. "I didn't do it for money or other benefits."

https://www.ibtimes.co.in/high-caste-hindus-refuse-get-into-boat-christian-rescuer-kerala-778355

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 21 ● Issue 19 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 16 to 31 August, 2018

March Delhi ! March Delhi !! March Delhi !!!

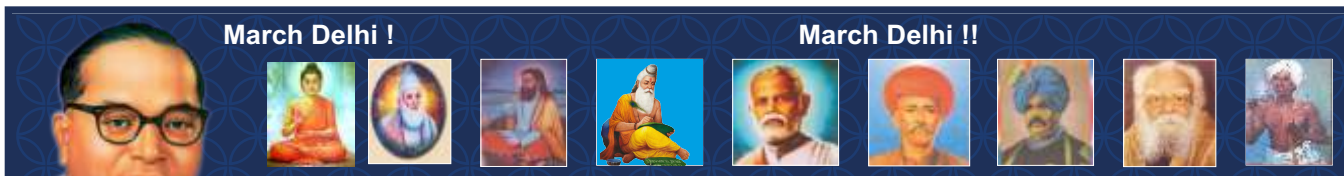

ALL INDIA CONFEDERATION OF SC/ST ORGANIZATIONS

Calls

For Reservation in Promotion & Pvt. Sector & against the Dalit Atrocities

Dr. Udit Raj (Ex. IRS),
National Chairman

RALLY

03rd December, 2018

Monday, at 10 AM

Ramlila Ground, New Delhi

Join in large number to make the Rally successful

By: Devi Singh Rana, Om Prakash Singhmar, Parmendra, Girish Chandra Pathre, Satya Narayan, Savita Kadiyan Panwar, Sanjay Raj, Rajen Hijam, Samuel Massey, Aditya Kumar Naveen (Delhi), Sushil Kamal, Neeraj Chak, Raj Kumar (UP), Siddharth Bhojane, Deepak Tabhane, Sanjay Kamble (Maharashtra), S.P. Jarawata, Vishwanath, Satyawan Bhatia, Mahasingh Bhurania, (Haryana), Tarshem Singh Gharu, Rohit Sonkar (Punjab), Maniram Badgurjar, Pancham Ram, Vishram Meena, M. L. Rasu, Mukesh Meena (Rajasthan), Babu Singh, Vijay Raj Ahirwar (Uttarakhand), Alekh Malik, D.K Behera (Orissa), Paramhans Prasad, Vipin Toppo, Narendra Chaudhary (M.P.), Ramubhai Vaghela, Utpal Kulkarni (Gujarat), S. Karuppaiah, P. N. Perumal (Tamil Nadu), Raman Bala Krishnan (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), K. Maheshwar Raj, Prakash Rathore (Telangana), Palteti Penta Rao (Andhra Pradesh), Harsh Meshram, Pradeep Sukhdeve (Ch.), P. Bala, Sadan Naskar, Subrata Batul (West Bengal) Madhusudan Kumar, Welfrid Kerketta (Jharkhand), R.K. Kalsotra, B.L. Bhardwaj (J&K), Madan Ram, Sheodhar Paswan, Shiv Pujan (Bihar), J. Srinivasulu, R. Raja Segaran, Thippesh, P.Sankara Doss (Karnataka), Sitaram Bansal (H.P.), Pradeep Basfore, Jai Karan (Assam) , C.B. Subba (Sikkim) , Prakash Chandra Biswas (Tripura)

Corres.: T-22 Atul Grove Road, Connaught Place. New Delhi -110001 Ph.No. 011-23354841/42, Mob.: 9868978306, Fax : 011-23354843

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.aiparisangh.com, www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar